

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या अहकाप हुक्म की में जारी

20/5/25

विषयवस्तु में नोटिस S.D.O. बाह्य कार पर, विषय कवि म. ...
 25/6/25 का रेषा है।

25/6/25

विषयवस्तु मय हुक्म S.D.O. बाह्य कार पर, विषय कवि म. ...
 25/6/25 का रेषा है।


21/6/25

पत्रावली पैरा 2(1) आदि 3 पं.
 पत्रावली के अंतर्लेखन किया गया।
 आदि 3 पं. में आपने प्राप्ति की बहम के दौरान
 रुबन ठिया डि रेवेन्यू एजेंसी ने हस्त प्रकरण में
 तथ्यात्मक रिपोर्ट को विकल्पों सहित-प्रशासन में पेश की,
 परन्तु रेवेन्यू एजेंसी द्वारा अधीन को बिना सूचित
 किए अधीन के कहेनुसार मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार
 की तथा मौजूदा रिपोर्ट पर अधीन के हस्ताक्षर नहीं हैं।
 साथ ही अधीन द्वारा अपने में खेतों में जाने के लिए
 सबसे निकटतम सप्ता 150/1, 150/2 व 136 के अंतर्
 होकर निकलता है जो अधीन के खेतों में धरती के
 लिए सबसे निकटतम सप्ता है। अतः अधीन के आपने
 प्राप्ति को स्वीकार कर डीको वयो की उपस्थिति में
 तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः मंगवाई और अधीन के अधीन
 के कथनों को ध्यान करते हुए रुबन ठिया डि रेवेन्यू एजेंसी
 द्वारा अधीन व अधीन की उपस्थिति में ही सही एवं
 वास्तविक तथ्यों पर मौजूदा पर ही तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार
 की गई है। अधीन के खेतों में जाने लु 150/1, 150/2
 व 136 का अधीन द्वारा आपने तब उनका उपयोग -
 उपयोग नहीं किया है। और न ही मौजूदा पर वगैरह अधीन की
 भूमि में वे कोई सप्ता है। अधीन केवल प्राप्ति की
 लम्बा करे की क्रिया में गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्ति
 पेश किया है जो मय कवि (आदि 3 पं.) पत्रावली के
 अंतर्लेखन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट की तथ्यात्मक रिपोर्ट
 व आदि 3 पं. अधीन द्वारा अधीन किया गया। अधीन
 अधीन के बहम पर मंगन किया गया। अतः उक्त
 अधीन प्राप्ति स्तरहीन होने से खारिज किया जाता है।
 उक्त हस्त प्राप्ति पर अधीन अधीन की बहम आपने
 प्राप्ति के बहम के साथ ही लुकी गई। पत्रावली मय
 हस्त प्रकरण, तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का गलत तथ्यों
 अधीन किया गया। बहम अधीन अधीन पर मंगन

उपरोक्त अधिकारी मय
 प. बाह्य कार कल
 ज. (आदि 3 पं.)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------	------------------------------------	--

डिजा गया। अतः उक्त विवेचन के आलोक में प्राथम
 प्राप्ति बाबत स्थापित होने एवं साखान होने से
 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय प्रथम से
 लिखा जाकर शाप में किया गया। निर्णय मय
 तथ्यात्मक रिपोर्ट व फुट नोटों की शर्त तहकीलाए अंश
 को पालना हेतु अथवा जोषा तहरीर जारी हो।
 पत्रावली प्रिंसल अंशों के नम्बर से ब्रूम हो। का
 तमिल आधा आधिल इफतर लिखा अंशों अमा हा।


 ग्राहक अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 जैतारण (ब्याबर)